Health & Wealth
We Manage Both

alankit LIMITED

9th May, 2023

BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
C-1, Block G, Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400051

Scrip Code: 531082

Symbol : ALANKIT

Dear Sir/Ma'am,

Sub: Submission of newspaper advertisement for publication of Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and Financial Year ended 31st March, 2023

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), read together with Part A of Schedule III thereto, please find enclosed herewith, a copy of the newspaper advertisement for publication of Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and Financial Year ended 31st March, 2023, published by way of advertisements on 8th May, 2023, in the Financial Express in English and in Haribhoomi in Hindi.

This is for your information and records

Thanking you.

Yours faithfully,

FOR ALANKIT LIMITED

Suchita Kabra

Digitally signed by Suchita Kabra
DN: c=IN, st=West Bengal, 2.5.4.20=75f23376d55f159c4e7180a61289f05a3fd9fe34176650778a0451ecb1da7a11, postalCode=711106, street=OPPOSITE GOLABARI POLICE STATION , Haora MCorp , Howrah, pseudonym=f1d05416278346959a9d90382308c48d, serialNumber=bd4744d12c5198ba4fcd3106de3e85e92238d98f75a0be0100c275bbb8a3a3d0, o=Personal, cn=Suchita Kabra
Date: 2023.05.09 11:55:55 +05'30'

SUCHITA KABRA
COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

श्रद्धा हत्या : अदालत आफताब के खिलाफ आरोप तय करने पर आज जारी करेगी आदेश

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

अपनी 'लिव-इन-पार्टनर' की हत्या और उसके शव के टुकड़े टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय किये जाने पर यहां की एक अदालत द्वारा मंगलवार को आदेश सुनाये जाने की संभावना है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा ने पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश 29 अप्रैल को यह उल्लेख करते हुए टाल दिया था कि संबद्ध न्यायाधीश अवकाश पर हैं। अदालत ने मृतका (श्रद्धा) के पिता विकास कुमार की उस अर्जी पर भी सुनवाई नौ मई के लिए टाल दी है, जिसमें उन्होंने न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि उनकी बेटी के शव के अवशेषों को अंत्येष्टि के लिए परिवार को सौंप दिया जाए। उन्होंने अदालत से कहा कि परंपरा और संस्कृति के अनुसार यह रस्म पूरी करना जरूरी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने आरोप तय करने के विषय पर दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 15 अप्रैल को अपना आदेश 29 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था। जांच एजेंसी ने वालकर के पिता की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए 15 अप्रैल को समय मांगा था। दिल्ली पुलिस ने पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302(हत्या) और 201(साक्ष्य मिटाने का अपराध) के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने किया था 6,629 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल

पुलिस ने 24 जनवरी को 6,629 पन्नों का एक आरोप पत्र भी दाखिल किया है। पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वालकर की हत्या कर दी थी और इसके बाद उसने शव के कई टुकड़े कर उसे करीब तीन हफ्तों तक दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित अपने किराये के आवास पर एक 'फ्रीज' में रखा था। बाद में, आरोपी ने शव के टुकड़ों को दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर फेंका था।

खबर संक्षेप

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा:महापौर

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। बच्चों को न केवल अकादमिक उत्कृष्टता बल्कि समग्र विकास के लिए भी तैयार करना चाहिए। एमसीडी स्कूल में जल्द बहुत बड़ा बदलाव आएगा, दिल्ली सरकार ने शिक्षा की बेहतरी के लिए 400 करोड़ रुपए दिए हैं। एमसीडी की महापौर डॉ शैली ओबरॉय ने रोहिणी जोन के रोहिणी सेक्टर 16 जे स्थित प्राइमरी स्कूल में तीन दिवसीय वार्षिक विज्ञान मेले और शिक्षक सम्मान समारोह के उद्घाटन के मौके पर उक्त बातें कहीं। इस दौरान स्कूलों के शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने स्कूली छात्रों के बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के प्रयासों की सराहना की। माता-पिता और उनके बच्चों के बीच उचित संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया।

जल संयंत्र की सफाई नहीं करने पर एलजी ने लगाई डीजेबी को कड़ी फटकार

नई दिल्ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को आदेशों की खिलाफत करने पर कड़ी फटकार लगाई है। उपराज्यपाल सक्सेना ने गत दिनों वजीराबाद जल संयंत्र का निरीक्षण के बाद यहां साफ सफाई के निर्देश जारी किए थे। लेकिन तय सीमा के बावजूद अभी तक डीजेबी ने उपराज्यपाल के आदेशों की अनदेखी की। जिसके बाद सोमवार को उपराज्यपाल ने डीजेबी को कड़ी फटकार लगाते हुए अगले 15 दिनों में पूरी रिपोर्ट मांगी है। उपराज्यपाल ने वजीराबाद व चंद्रावल जल शोधन संयंत्रों की दयनीय हालत के जिम्मेदार दी अधिकारियों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए थे। बावजूद इसके डीजेबी ने कुछ नहीं किया, जिसका संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल ने कठोर रुख अपनाया है। डीजेबी ने गत दिनों राजनिवास भेजी रिपोर्ट में अधिकांश जानकारियों को छुपा लिया गया।

महानिदेशक कारागार, दिल्ली सरकार तथा पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी

टिल्लू मर्डर केस

हाईकोर्ट ने किया जेल अधिकारियों से चाकू बरामदगी पर जवाब तलब

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ परिसर से चार चाकू बरामद होने के संबंध में जेल अधिकारियों से जवाब तलब किया है। तिहाड़ जेल में ही पिछले दिनों कुख्यात अपराधी टिल्लू ताजपुरिया की कथित तौर पर एक प्रतिद्वंदी गिरोह के कैदियों ने चाकू मार कर हत्या कर दी थी।

अदालत ने जेल के अधिकारियों से पूछा कि जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में जब पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई थी, तब उस वक्त अधिकारियों ने कोई निवारक कार्रवाई क्यों नहीं की। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने ताजपुरिया के पिता और भाई की ओर से दाखिल याचिका पर महानिदेशक कारागार (दिल्ली), दिल्ली सरकार तथा पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। ताजपुरिया के पिता और भाई की ओर से दाखिल याचिका में दो मई को तिहाड़ जेल परिसर में हुई 'जघन्य हत्या' मामले की जांच

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि वे डीटीसी में चालक हैं और उन्होंने अपने लिए पर्याप्त सुरक्षा की भी मांग की।

25 मई को अगली सुनवाई

इस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दोनों की रक्षा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अदालत ने मामले को 25 मई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को हलफनामा दाखिल करके यह भी बताने को कहा कि जेल में चार चाकू कैसे पाए गए । साथ उसने संबंधित जेल अधीक्षक को अगली सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के भी निर्देश दिए। गौरतलब है कि तिहाड़ जेल के सीसीटीवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुआ है जिसमें दिखाई दे रहा है कि सुरक्षा कर्मियों के सामने ताजपुरिया पर हमला किया गया।

तिहाड़ : आईटीबीपी व तमिलनाडु पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जेल महानिदेशक से की मुलाकात

नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में तैनात आईटीबीपी और तमिलनाडु पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को दिल्ली जेल के महानिदेशक (डीजी) संजय बेनीवाल से मुलाकात की और पिछले सप्ताह जेल परिसर के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की निर्मम हत्या के मद्देनजर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के समाधान के तरीकों पर चर्चा की। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। यह बैठक बेनीवाल द्वारा सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को पत्र लिखे जाने के बाद हुईं, जिनके कर्मी एशिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक तिहाड़ में सुरक्षा व्यवस्था के तहत तैनात हैं। जेल के एक अधिकारी ने कहा कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) भंवर सिंह ने सोमवार को डीजी जेल से मुलाकात की। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने तिहाड़ में सुरक्षा चिंताओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एच एम जयराम ने भी मामले पर चर्चा करने के लिए डीजी कारागार से मुलाकात की। वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के बाद बेनीवाल ने बताया कि तमिलनाडु के डीजीपी ने एडीजीपी को यह आकलन करने और देखने के लिए भेजा था कि तिहाड़ जेल में क्या सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही। उठाए जाने वाले कदमों के बारे में पूछे जाने पर कि प्रत्येक कदम की समीक्षा की जा रही है। हम अपनी गलतियों से सबक लेंगे और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे। बेनीवाल ने कहा कि हमने सुरक्षा की समीक्षा की और मैं कहूंगा कि इस पर काम चल रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि हम गलतियों से सीखकर सुधार करेंगे।

आबकारी घोटाला

अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ाई

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को 23 मई तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता की हिरासत बढ़ा दी। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत

की अवधि समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक एन. के. मत्ता की उन दलीलों पर गौर किया कि एजेंसी ने आरोपी के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है जिस पर 10 मई को विचार किया जाना है। अदालत ने पहले सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आर्थिक अपराध के मामले का आम जनता तथा बड़े पैमाने पर समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है क्योंकि जांच के दौरान एकत्रित सबूत उक्त अपराध में उनकी संलिप्तता दिखाते हैं। ईडी ने आबकारी नीति मामले में नौ मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने तथा उसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले की जांच में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। वह दोनों मामलों में अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

कड़ी सुरक्षा...

नई दिल्ली : सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर पहरा देते सुरक्षाकर्मी जहां टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड के चार आरोपियों को पेश किया गया था। फोटो : एजेंसी

सीताराम बाजार में दीवार गिरने से मजदूर की मौत

देर रात करीब एक बजकर 40 मिनट पर हुआ हादसा, एक घायल

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

मध्य दिल्ली के चांदनी महल के सीताराम बाजार इलाके में दीवार गिरने से 45 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि मृतक दिलीप यादव मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और फिलहाल उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में रह रहा था।

उन्होंने बताया कि घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को हुई। पुलिस उपायुक्त (मध्य) संजय कुमार सेन ने बताया कि दो बजकर 50 मिनट के करीब एलएनजेपी अस्पताल से चांदनी महल पुलिस थाने को सूचित किया गया कि सीताराम बाजार इलाके में दीवार गिरने से दो लोग घायल हो गए हैं और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, चिकित्सकों ने दिलीप यादव को मृत घोषित कर दिया जबकि एक अन्य मजदूर चित्तन मंडल के पैर में चोटें आई है। उन्होंने बताया कि मंडल का अभी भी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक, घटना देर रात करीब एक बजकर 40 मिनट पर उस समय हुई जब कुछ मजदूर एक दीवार तोड़ रहे थे तभी वह दीवार अचानक उन दोनों पर गिर गई। उसने बताया कि घायलों को अन्य मजदूरों ने अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि ठेकेदार और परिसर के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आगे की जांच जारी है।

बीसीडी ने हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली से बाहर के लोगों का पंजीकरण नहीं करने के फैसले पर किया जा रहा पुनर्विचार

नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह अपनी उस हालिया अधिसूचना पर पुनर्विचार कर रहा है, जिसमें दिल्ली एवं एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) से बाहर के पते वाले लोगों का निकाय में पंजीकरण नहीं करने का फैसला किया गया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने याचिका को अगली सुनवाई के लिए 23 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस संबंध में एक विधि स्नातक द्वारा दायर याचिका में उठाए गए मुद्दों पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से अपना जवाब दाखिल करने को कहा। बीसीडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि 12 मई को आयोजित बैठक में इस मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा। अदालत ने बीसीडी के वकील से कहा कि वह अधिवास संबंधी जरूरतों को लेकर अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई कानूनी स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करें।

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधि. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खुलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (लगभग) रु. में	बोर्ड/निगम/प्राधि. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी / सम्पर्क विवरण/ ई-मेल
1	एचएसएएमबी भिवानी	लोहारू निर्वाचन क्षेत्र, जिला भिवानी में गांव सहरयारपुर से देवराला (18 फीट चौड़ा) तक सम्पर्क सड़क का निर्माण। (आईडी-10693) रोड की लम्बाई-4.35 कि.मी. + 4 कार्य।	बंद होने की तिथि 26.05.2023	9.47 करोड़	https://etenders.hry.nic.in	eebhiwani2023.hsamb@gmail.com

अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in
संवाद विज्ञा. सं.-13/2024/40/17645/I/88/7 दि. 08.05.23

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधि. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खुलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (लगभग) रु.में	बोर्ड/निगम/प्राधि. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी / सम्पर्क विवरण/ ई-मेल
1	नगर परिषद फतेहाबाद	एम.सी. फतेहाबाद में स्ट्रीट लाइट रखरखाव हेतु वैद्युत सामान की आपूर्ति + 1 कार्य।	बंद होने की तिथि 25.05.2023	31.70 लाख	www.etenders.hry.nic.in	7876829007 municipalcouncilfatehabad@gmail.com

अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in
संवाद विज्ञा. सं.-13/2024/40/17647/I/88/7 दि. 08.05.23

नए बिजली टैरिफ को लेकर डीईआरसी ने कंपनियां से मांगी 21 मई तक एआरआर

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने वर्ष 2023-24 के लिए बिजली कंपनियों को अपने वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का लेखा जोखा जमा करने के लिए 21 मई 2023 तक का समय दिया है। माना जा रहा है कि इस बार बिजली कंपनियां बिजली के दाम बढ़ाने की मांग करेगी, जिसे माने जाने की संभावना हो सकती है। हालांकि डीईआरसी में अभी कोरम पूरा नहीं है, यानी इसके अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के पद खाली पड़े है। इस समय डीईआरसी में केवल तकनीकी सदस्य है। जिसके चलते साल 2022 के बिजली के नए टैरिफ को लेकर डीईआरसी कोई फैसला नहीं कर सका था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार संभव है कि इस बार भी बिजली कंपनियां बिजली टैरिफ

बढ़ाने की मांग जरूर करेगी, लेकिन डीईआरसी इसे लागू करने की हालत में नहीं है, क्योंकि कानूनी सदस्य के बिना नया टैरिफ लागू ही नहीं हो सकता। इसका उदाहरण है कि डीईआरसी के पास गत वर्ष 2022 को नया टैरिफ तैयार पड़ा है, लेकिन इसे लागू नहीं किया सका क्योंकि सदस्यों की संख्या पूरी नहीं है। डीईआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीईआरसी में कानूनी सदस्य के बिना नए टैरिफ की घोषणा नहीं हो सकती। इस समय वर्तमान में बिजली की दरें निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिसको लेकर डीईआरसी ने विद्युत आपूर्ति कंपनियों टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टाटा पावर डीडीएल),रिलायंस की दोनों बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, नई दिल्ली पालिका परिषद को गत वर्ष का लेखा जोखा यानी एआरआर जमा करने को कहा है।

शादी का झांसा देकर अमेरिकी महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

आरोपी आगरा में कराता है 'होमस्टे' की सुविधा मुहैया

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक अमेरिकी महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में आगरा के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान गगनदीप (32) के तौर पर की गई है जो आगरा में 'होमस्टे' की सुविधा मुहैया कराता है।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता (62) ने अपनी शिकायत में कहा कि 2017 में वह भारत आई थी और गगनदीप के 'होमस्टे' में ठहरी थी, बाद में दोनों के बीच मित्रता हो गई

और संबंध भी बने। पुलिस ने बताया कि शिकायत में महिला ने आरोप लगाए हैं कि पिछले कुछ वर्षों में वह गगनदीप से मिलने भारत आती रही और शादी का झांसा देकर कई मौकों पर गगनदीप ने कथित तौर पर उसके साथ संबंध बनाए। पुलिस ने कहा कि महिला का आरोप है कि एक बार आरोपी उसे शाहदरा के सूरजमल विहार गया और वहां भी उसके साथ संबंध बनाए। इसके अलावा आरोपी उसे अमृतसर तथा अन्य स्थानों पर भी ले गया। पुलिस ने कहा कि शिकायत में महिला ने कहा कि व्यक्ति का परिवार दोनों के संबंधों के बारे में जानता था। बाद में महिला को पता चला कि वह उसे धोखा दे रहा है। विवेक विहार पुलिस थाने के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि चार मई को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज किया गया और जांच के आधार पर गगनदीप को छह मई को आगरा से गिरफ्तार किया गया।

अलंकित लिमिटेड
CIN: L74900DL1989PLC036860
पंजीकृत कार्यालय : 205-208, अनारकली कॉम्पलैक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष हेतु अंकेक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का सार

(ईपीएस को छोड़कर रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन समाप्त तिमाही 31.03.2023 अंकेक्षित	स्टैंडअलोन समाप्त तिमाही 31.03.2022 अंकेक्षित	स्टैंडअलोन समाप्त तिमाही 31.12.2022 अअंकेक्षित	स्टैंडअलोन समाप्त वर्ष 31.03.2023 अंकेक्षित	स्टैंडअलोन समाप्त वर्ष 31.03.2022 अंकेक्षित	समेकित समाप्त तिमाही 31.03.2023 अंकेक्षित	समेकित समाप्त तिमाही 31.03.2022 अंकेक्षित	समेकित समाप्त तिमाही 31.12.2022 अअंकेक्षित	समेकित समाप्त वर्ष 31.03.2023 अंकेक्षित	समेकित समाप्त वर्ष 31.03.2022 अंकेक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	4,757.46	2,624.60	1,925.16	10,993.46	10,654.36	15,026.34	3,211.85	10,928.57	32,177.44	13667.35
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण मदों से पूर्व)	887.57	166.10	123.19	1,608.45	1,428.13	773.84	(505.93)	164.48	1,173.79	839.52
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	887.57	166.10	123.19	(850.77)	1,428.13	773.84	(505.93)	164.48	(3,835.43)	839.52
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	622.82	123.71	421.74	(418.92)	1,006.30	560.68	(434.76)	430.82	(3,512.66)	287.11
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	654.79	241.69	437.14	(340.76)	1,099.62	617.48	(326.86)	441.12	(3,416.69)	370.97
6	इक्विटी शेयर कैपिटल	2,245.58	1,429.58	1,429.58	2,245.58	1,429.58	2,245.58	1,429.58	1,429.58	2,245.58	1429.58
7	रिजर्व्स (पूर्ववर्ती लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुरूप पुनर्मूल्यांकन रिजर्व्स को छोड़कर)				17,391.27	8,633.94				13,854.86	11893.44
8	अर्जन प्रति शेयर (रु. 1/- प्रत्येक के) (वार्षिकृत नहीं)										
	1. बेसिक	0.38	0.09	0.30	(0.26)	0.70	0.29	(0.31)	0.24	(2.07)	0.16
	2. डायल्युटेड	0.38	0.09	0.30	(0.26)	0.70	0.29	(0.31)	0.24	(2.07)	0.16

टिप्पणी :
1. उपरोक्त 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष हेतु कम्पनी के स्टैंडअलोन एवं समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार है, जिसकी समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई है और 08 मई 2023 को आयोजित उनकी सम्बन्धित बैठकों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिये गये हैं। समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड पर www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं। ये कम्पनी की वेबसाइट पर www.alankit.in पर भी उपलब्ध हैं।
2. उपरोक्त परिणाम कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 और अन्य मान्यताप्राप्त लेखा प्रैक्टिसेज और पॉलिसीज, जहां तक लागू योग्य हैं, के तहत निर्धारित कम्पनी (भारतीय लेखा मानकों) नियमों 2015 (Ind AS) के अनुरूप तैयार किये गये हैं।

कृते अलंकित लिमिटेड
हस्ता/-
अंकित अग्रवाल
प्रबंध निदेशक

दिनांक : 08.05.2023
स्थान : नई दिल्ली

ACRE
MAKING ASSETS WORK

APPENDIX IV
[Rule-8(1)]
POSSESSION NOTICE
(For Immovable Property)

Asset Care & Reconstruction Enterprises Ltd. (Assignee - Acting as trustee of ACRE Trust -109) under the provisions of SARFAESI act, 2002, acquired entire outstanding dues along-with all underlying securities from L&T Finance Ltd. (Assignor) vide Deed of Assignment of Debt dated 31-12-2020 and stepped into the shoes of secured creditor and became entitled to recover outstanding dues by enforcement of securities. ACRE In exercise of powers conferred by Section 13(12) of the said Act read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notices calling upon the Borrower/ Co-borrowers and Guarantors to repay the amount mentioned in the demand notice appended below within 60 days from the date of receipt of the said notice together with further interest and other charges from the date of demand notice till payment/realization.

The Borrower/ Co-Borrowers/ Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/ Co-Borrowers/ Guarantors and public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein under in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 of the Act read with rule 8 of the said Rules on this notice

The borrower's/ Co-Borrowers'/ Guarantors' attention is invited for the provisions of sub-section 8 of Sec 13 of the said act, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

Loan Account Number	Borrower/s/ Co-borrower/s & Guarantors Name	Description of the Mortgaged Properties	Demand Notice		Date and Type of Possession Taken
			Date	Outstanding Amount (₹)	
H15379260418015519 / H15379260418015519L	Subhash Chaurasia & Raju Chaurasia	Flat No. L1-202, Tower-I1 Admeasuring 749.35 Sq.ft. Carpet Area And 1341 Sq. Ft. Super Area On The Second Floor Of The Building "Nitya Homes" At "Officer City" NH-58, Raj Nagar Extension Ghaziabad Uttar Pradesh 201017.	26-09-2022	Rs. 34,58,179.44/- (Rupees Thirty Four Lakhs Fifty Eight Thousand One Hundred Seventy Nine and Paise Forty Four Only) Till 16-07-2022	04.05.2023 Symbolic Possession
H15414250418121518 / H15414250418121518L	Ravinder Kumar Sharma & Suman Sharma	Flat No. B-1905 Admeasuring 995 Sq.ft., On The 19th Floor Block/Tower No. B In The Building Oasis Venetia Heights Situated At Plot No. HRA – 12A, Group Housing Sector, Surajpur Site -C, Greater Noida, Uttar Pradesh 201306.	21-10-2022	Rs. 33,08,977.66/- (Rupees Thirty Three Lac Eight Thousand Nine Hundred Seventy Seven and Sixty Six Paise) As On 19-10-2022	04.05.2023 Symbolic Possession
H08518191218103828 & H08518191218103828L	Kamran Ali & Amreen Abbasi	Unit No. R203NWEST0807/Flat No. 807 On 8th Floor, Admeasuring Super Area 1380 Sq.ft, 2 Bhk, Tower/Block - B/Nova West Situated At Plot No. 3, Sector 94, Noida Uttar Pradesh 201301	28-04-2022	Rs. 1,33,10,864.63/- (Rupees One Crore Thirty Three Lakh Ten Thousand Eight Hundred Sixty Four And Sixty Three Paisa Only) Till 20-Apr-22	04.05.2023 Symbolic Possession

The Borrower/ Co-borrowers/ Guarantors in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing in the property would be subject to the charge of ACRE Asset Care & Reconstruction Enterprise Ltd (Assignee - Acting as trustee of ARCE Trust -109) for an amount mentioned in the demand notice together with further interest and other charges from the date of demand notice till payment/realization.

Sd/-
Authorized officer
Assets Care & Reconstruction Enterprise Ltd. (109-TRUST)

Date: 09.05.2023
Place: Noida

FORM NO. INC-26
[Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one State to another
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT THE NORTHERN REGIONAL DIRECTOR, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of **M/s KHIDRAT RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED** (a company registered under Companies Act, 2013 and having its registered office at 14th Floor, Tower B, Vatika Towers, DLF Golf Course Road, Suncity, Sector-54 Gurgaon, Haryana 122003)
…. Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013, seeking confirmation of alteration of the memorandum of association of the company in terms of the special resolution passed at Extraordinary General Meeting held on 23rd March, 2023 to enable the company to change its registered office from the State of Haryana to the state of national capital territory (NCT) of Delhi.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 Portal (www.mca.gov.in) by filling Investor Complaint Form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the **Regional Director**, B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within 14 (Fourteen) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office address at 14th Floor, Tower B, Vatika Towers, DLF Golf Course Road, Suncity, Sector-54 Gurgaon, Haryana 122003.

For and on behalf of the applicant
For KHIDRAT RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
Sd/-
Name: Vikas Garg
Designation: Director
DIN: 09424168

Date: 09.05.2023
Place: Delhi

IDFC First Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)
CIN : L65110TN2014PLC097792
Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031.
Tel : +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

APPENDIX IV [Rule 8(1)]
POSSESSION NOTICE
(For immovable property)

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest **(Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice Dated 19.10.2022 Calling Upon The Borrower, Co-Borrowers And Guarantors 1. Kunwar Pal, 2. Kamlesh Devi, To Repay The Amount Mentioned In The Notice Being Rs. 19,63,444.40/- (Rupees Nineteen Lac Sixty Three Thousand Four Hundred Forty Four And Forty Paise Only)As On 14.10.2022, Within 60 Days From The Date Of Receipt Of The Said Demand Notice.**

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this **4th day of May 2023.**

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) for an amount of Rs. 19,63,444.40/- (Rupees Nineteen Lac Sixty Three Thousand Four Hundred Forty Four And Forty Paise Only) And Interest Thereon.**

The borrower's attention is invited to provisions of sub – Section (8) Of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable properties.

All That Piece And Parcel Of Flat No. 6, Mig, Fron Side Second Floor (With Roof Rights), Total Covered Area 75 Sq. Yds. I.E. 62.70 Sq. Mtrs., Built On Plot No. 41, 42, Khasra No. 1302, Situtaed At P.N. Vihar, Village Loni (Outer Chakbandi), Pargana-Loni, Tehsil & District-Ghaziabad (U.P.), And Bounded As: East: Rasta 15 Ft. Wide, West: Plot Digar Maalik, North: Plot No. 40South: Plot Digar Maalik

Date:4th May 2023
Place:Ghaziabad.
Loan Account No:14810404.

Authorised Officer
IDFC FIRST Bank Limited
(erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)

ALANKIT LIMITED

CIN: L74900DL1989PLC036860
Registered Office: 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055

Extract of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and Financial Year ended March 31, 2023

(Rs. In Lacs except EPS)

Sr. No.	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Quarter Ended 31.03.2023 Audited	Quarter Ended 31.03.2022 Audited	Quarter Ended 31.12.2022 Unaudited	Year Ended 31.03.2023 Audited	Year Ended 31.03.2022 Audited	Quarter Ended 31.03.2023 Audited	Quarter Ended 31.03.2022 Audited	Quarter Ended 31.12.2022 Unaudited	Year Ended 31.03.2023 Audited	Year Ended 31.03.2022 Audited
1	Total Income from Operations	4,757.46	2,624.60	1,925.16	10,993.46	10,654.36	15,026.34	3,211.85	10,928.57	32,177.44	13667.35
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	887.57	166.10	123.19	1,608.45	1,428.13	773.84	(505.93)	164.48	1,173.79	839.52
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	887.57	166.10	123.19	(850.77)	1,428.13	773.84	(505.93)	164.48	(3,835.43)	839.52
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax	622.82	123.71	421.74	(418.92)	1,006.30	560.68	(434.76)	430.82	(3,512.66)	287.11
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	654.79	241.69	437.14	(340.76)	1,099.62	617.48	(326.86)	441.12	(3,416.69)	370.97
6	Equity Share Capital	2,245.58	1,429.58	1,429.58	2,245.58	1,429.58	2,245.58	1,429.58	1,429.58	2,245.58	1429.58
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as per Balance Sheet of previous accounting year)				17,391.27	8,633.94				13,854.86	11893.44
8	Earning Per Share (of Rs. 1/- each)(not annualised)										
	1. Basic	0.38	0.09	0.30	(0.26)	0.70	0.29	(0.31)	0.24	(2.07)	0.16
	2. Diluted	0.38	0.09	0.30	(0.26)	0.70	0.29	(0.31)	0.24	(2.07)	0.16

NOTES:
1. The above is an extract of the detailed format of the Standalone & Consolidated Audited Financial Results of the Company for the quarter & Financial Year ended March 31, 2023, which has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their respective meetings held on May 8, 2023. The full format of the quarter & Financial Year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites, i.e., on BSE Limited at www.bseindia.com and on Natioanl Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. The same is also available on the Company's website at www.alankit.in.
2. The above results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

For ALANKIT LIMITED
Sd/-
ANKIT AGARWAL
MANAGING DIRECTOR

Date : 08-05-2023
Place: New Delhi

Servotech Power Systems Limited

CIN: L31200DL2004PLC129379
Registered Office: 806, 8th Floor, Crown Heights, Hotel Crown Plaza, Sector 10, Rohini, New Delhi-110085 | **Tel No :** 011-41183119
Email: investor.relations@servotechindia.com | **Website:** www.servotech.in

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2023

(Rs. in lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2023 (Audited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)
1.	Total Revenue from Operations	11998.15	8635.7	5110.58	27864.33	14425.25
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extra-ordinary items)	772.7	519.19	181.6	1443.72	564
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after tax, exceptional and/or extra-ordinary items)	772.7	519.19	176.54	1443.72	558.94
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after tax, exceptional and/or extra-ordinary items)	605.47	387.42	130.67	1106.57	405.77
5.	Total Comprehensive Income/Loss for the period	607.29	387.42	131.42	1108.86	406.51
6.	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)	2126.54	2126.54	1880.79	2126.54	1866.54
7.	Earnings per share of Rs. 2/- each:					
	(a) Basic (₹)	0.57	0.36	0.14	1.04	0.43
	(b) Diluted (₹)	0.61	0.39	0.13	1.11	0.41

Note:
1. The Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind-AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (as amended) and SEBI circular dated 5th July, 2016.
2. The above Consolidated Financial Results have been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 6th May, 2023 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 7th May, 2023. The Statutory Auditor have expressed an unmodified audit opinion on these results.
3. The above is an extract of the detailed format of Audited consolidated financial result for quarter and year ended 31st March, 2023 filed with NSE under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulation, 2015. The full format of Audited Financial Result (Standalone and Consolidated) for quarter and year ended 31st March, 2023 is available on the website of the Company www.servotech.in and NSE www.nseindia.com.
4. The Key Standalone financial information is as under:

(Rs. in lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2023 (Audited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total Revenue from Operations	9642.36	8253.65	4500.57	24956	13426.42
2	Profit/(Loss) before tax	739.91	479.73	154.08	1375.84	506.3
3	Profit/(Loss) after tax	581.31	358.99	116.27	1057.17	366.36

For Servotech Power Systems Limited
Sd/-
Raman Bhatia
(Managing Director)
DIN : 00153827

Date: 07.05.2023
Place: New Delhi

FORM
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under section 102 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF ANIL KUMAR AGARWAL (PERSONAL GUARANTOR TO POLAR PHARMA INDIA LIMITED)

Relevant Particulars		
1.	Name of Personal Guarantor	Anil Kumar Agarwal S/o SH. Sajjan Kumar Agarwal
2.	Address of the Personal Guarantor	A-20, 3rd Floor, Friends Colony (East) New Delhi - 110065
3.	Insolvency commencement date in respect of Personal Guarantor	02.05.2023
4.	Details of order admitting the application	Order dated 02.05.2023 passed by the Hon'ble NCLT, Cuttack Bench at Cuttack, having C.P. (IB) No- 28/CB/2022.
5.	Name and registration number of the insolvency professional acting as Resolution professional	**Arvind Mittal** IP Reg. No.: **BBI/IPA-001/IP-P01358/2018-2019/12081**
6.	Address and e-mail of the Resolution professional, as registered with the Board	1900, JJ Colony, Phase-3, Madanpur Khaddar Sarita Vihar, New Delhi- 110076 **Email: arvindmittal81@yahoo.in**
7.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Resolution Professional	F-29, DLF Centre Point, Opposite Bata Flyover, Sec-11, Faridabad, Haryana-121006 **Email: insolvency.anil.agarwal@gmail.com**
8.	Last date for submission of claims	**30.05.2023**
9.	Relevant Forms are available at:	**Weblink:** https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Cuttack Bench at Cuttack has ordered the commencement of insolvency process of the **Anil Kumar Agarwal S/o SH. Sajjan Kumar Agarwal (Personal Guarantor to Polar Pharma India Limited)** from **2nd May, 2023.**

The creditors of Anil Kumar Agarwal s/o SH. Sajjan Kumar Agarwal, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **30.05.2023** to the resolution professional at the address mentioned against **entry No. 7.**

The creditors shall submit their claims with proof by electronic means and by post.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Arvind Mittal
Resolution Professional
IP Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P01358/2018-2019/12081

Date : 09.05.2023
Place : Delhi

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.